न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 31 / 2012

1 सुनीता देवी पत्नी महावीर प्रसाद।
2 शीला देवी पत्नी मनोज कुमार समस्त जाति अहीर निवासीगण कृष्णनगर बडाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 समन्दर सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपुत निवासी बडाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 राजपाल सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपुत निवासी बडाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
2 उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 16.04.2012 द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी उनवानी मुकदमा राजपाल सिंह वगैरह बनाम समन्दर सिंह वगैरह अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 6 / 12

उपस्थिति :

1. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फूलचन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

–निर्णय–

दिनांकः– 10.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 6/2012 में पारित निर्णय दिनांक 16.04.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय मे प्रार्थी राजपाल ने अपीलांट के विरूद्व प्रार्थना पत्र, अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील खेतड़ी स्थित आराजी खाता संख्या 93 जमाबंदी संवत 2065–68 खसरा नम्बर 470,471,472,473,478, 479, 480,481,482,582 किता 10 कुल रकबा 10.81 हैक्टेयर का खाता सामलाती है जिसके खातेदार काश्तकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 लगायत 22 है। उक्त खाते में भगवान सिंह, सूरजन सिंह पुत्र बिरजू सिंह का 1/4 भाग दर्ज रिकार्ड है। खातेदार सुरजन सिंह का अविवाहित देहान्त हो गया अत सूरजभान सिंह का हिस्सा उनके भाई भगवान सिंह में मर्ज हो गया। अत सूरजन सिंह का हिस्सा उनके भाई भगवान सिंह में मर्ज हो गया। भगवान सिंह उक्त 1/4 भाग पर काबिज काश्त थे। भगवान सिंह का भी देहान्त हो चुका है। उनके विधिक वारिस प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 उनके पुत्रान है जो बहिस्सा बराबर–बराबर 1/8,1/8 पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है एवं शेष 3/4 भाग पर अन्य सहखातेदारान काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 अदालत मातहत के समक्ष जो दावा घोषणार्थ बंटवारा व अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है उसके साथ जो अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया है उसमें रेस्पोडेंट नम्बर 1 अपने आपको 1/8 हिस्से का भूमि खसरा नम्बर 470,471,472,473,478, 479, 480,481,482,582 किता 10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कुल रकबा 10.81 हैक्टेयर वाके ग्राम श्रीकृष्ण नगर पटवार हल्का बडाऊ तहसील खेतड़ी में 1/8 हिस्सा बतलाकर दावा किया है जबकि रेस्पोडेंट नम्बर 1,1/8 हिस्से का टेनेन्ट न होकर 1/16 हिस्सा का टेनेन्ट है और इसी प्रकार से नामान्तकरण संख्या 393 दिनांकित 05.01.2012 के अनुसार रेस्पोडेंट नम्बर 11/16 हिस्से का टेनेन्ट है और इसी जमाबन्दी 2065 से 2068 की जमाबन्दी को आधार बिन्दु बनाकर अपना दावा बंटवारे का न्यायालय में पेश किया है। जिसमें जानबुझकर रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपना हिस्सा 1/8 बताया है और अपीलांट ने अपनी जवाबदेही में भी स्पष्टीकरण दिया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 का विवादग्रस्त भूमि में 1/16 हिस्सा है। लेकिन अदालत मातहत ने रिकार्ड की ओर तथा रेस्पोडेंट नम्बर 1 की टिनेन्सी की और बिना गौर किये ही इसकी और से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र इसके हक में स्वीकार कर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 2 व 3 को उक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि में रेस्पोडेंट नम्बर 1 के किसी भाग को अन्य किसी को दान, बेचान, रहन अर्थात हस्तान्तरित न करने ना कराने का जो आदेश पारित किया है वह विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि खाता संख्या 93 जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 में पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में पक्षकारों के मध्य घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। पक्षकारों के हको का निर्धारण इस वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो, विवादित भूमि खुर्द बुर्द नही हो। इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि खाता संख्या 93 जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 में पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि के सन्दर्भ में पक्षकारों के मध्य घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। पक्षकारों के हको का निर्धारण इस वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो, विवादित भूमि खुर्द बुर्द नही हो। इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर